

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३१ सन् २०२१

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, २०२१

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम, १९९६ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, २०२१ है.

संक्षिप्त नाम

२. ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम, १९९६ (क्रमांक २२ सन् १९९६) की धारा ३ की उपधारा (३) में, खण्ड (एक) में, शब्द "वाणिज्य एवं उद्योग विभाग" के स्थान पर शब्द "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग" स्थापित किए जाएं.

धारा ३ का संशोधन.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के गठन को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से यह प्रस्तावित है कि ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम, १९९६ (क्रमांक २२ सन् १९९६) की धारा ३ को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:

दिनांक: १४ दिसम्बर, २०२१.

ओमप्रकाश सखलेचा

भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम, १९९६ (क्रमांक २२ सन् १९९६) से उद्धरण.

धारा ३(१)से(२) •

*

*

*

*

“(३) प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :—

(एक) राज्य के वाणिज्य एवं उद्योग का प्रभारी मंत्री अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्तिगत जो अध्यक्ष होगा”.

*

*

*

*

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.